

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 05 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 500000/- (पाँच लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 590000/- (पाँच लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलापदाधिका री/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का व्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	स्व० अहमद राजा, 25, मो० सिराजुद्दीन वर्सी, पि० वर्ग	श्रीमती मुनी बेगम(माता)	262/4.6.19	ग्रा०+पो०-अखगाँव, था०+प्र०-संदेश, भोजपुर, आरा	7011170 0041066	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बचरी नारायणपुर PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बिजली चारिंग के व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० शिव बिहारी सिंह, 52, स्व० फागु सिंह, पि० वर्ग	श्रीमती मालती देवी(पत्नी)	263/4.6.19	ग्रा०+पो०-बागा, था०-अजीमाबाद, प्र०-संदेश, भोजपुर, आरा	7009010 0022250	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, अजीमाबाद PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेती मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० जितेन्द्र राय, 46, स्व० बालेश्वर राय, पि० वर्ग	श्रीमती चमेली देवी(पत्नी)	264/4.6.19	ग्रा०-धुधुआ, पो०-दौलतपुर, था०-आरा मुफसिल, प्र०-आरा सदर, भोजपुर, आरा	7513170 0001865	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सिंघी PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० रमेश पाल, 19, श्री ज्वाला भगत, पि० वर्ग	श्रीमती मीना देवी(माता)	265/4.6.19	ग्रा०-बनकट, पो०-सिकरिया, था०-शाहपुर प्र०-बिहियों, भोजपुर, आरा	2119321 1000280	यूको बैंक, बिहियों UCBA0002119	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० चन्द्रशेखर सिंह उर्फ चन्देश्वर सिंह, 52, स्व० बुढाई सिंह, पि० वर्ग	श्रीमती कान्ति देवी(पत्नी)	266/4.6.19	ग्रा०+पो०-कोरी, था०+प्र०-संदेश, भोजपुर, आरा	7053010 0078700	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, कोरी PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेती मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० कंचन देवी, 42, पि० वर्ग	श्री चन्द्रेश्वर पंडित(पति)	273/6.6.19	ग्रा०-बेला, पो०-कृष्णागढ़, था०-आरा मुफसिल, प्र०-आरा सदर, भोजपुर, आरा	1617001 7010448 53	पंजाब नेशनल बैंक, कृष्णागढ़ PUNBO161700	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० अजय कुमार रजक, 22, श्री रामनाथ रजक, पि० वर्ग	श्रीमती पचरतन देवी(माता)	274/6.6.19	ग्रा०+पो०-जमीरा, भोजपुर, आरा, था०-आरा मुफसिल, प्र०-आरा सदर, भोजपुर, आरा	5522051 14	इंडियन बैंक, आरा IDIB000A047	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण में मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर
8	स्व० मलय सिंह, 45, स्व० ईश्वर सिंह, सामान्य	श्रीमती पुष्पा देवी(पत्नी)	229/29.5. 19	ग्रा०+पो०-राजापुर, था०+प्र०-कोईलवर, भोजपुर, आरा	7045070 0012727	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, जमालपुर PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूरी के व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 590000/-

(पाँच लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-12/2019 के पृष्ठ-10/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-12/2019 234

पटना, दिनांक :- 10/7/19

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-12/2019 234


पटना, दिनांक :- 10/7/19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 590000/- (पाँच लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


10/07/19
(रीना कुमारी)

महिला समाज आयोजिका


10/07/19
(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी


10/07/19
(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।